संख्याः– 6316 / III(2)/10–23(मु0मं0घो0)/2009

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2010

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–डोईवाला में रायपुर हाथीखाने से किद्दूवाला होते हुए 6 नं0 पुलिया तक दो लेन मोटर मार्ग के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 367/2009 के क्रम में मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा जनपद देहरादून में नत्थनपुर के 6 नं0 पुलिया से किद्दूवाला रायपुर मोटर के कार्य, लम्बाई 0.800 मी0 हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि ₹ 18.24 लाख है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः– 1541/III(2)/09–23(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय हेत ₹ 1000/– (₹ एक हजार मात्र) की टोकन धनराशि स्वीकृत की गई। मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 06–08–2010 द्वारा जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–डोईवाला में रायपुर हाथीखाने से किद्दूवाला होते हुए 6 नं0 पुलिया तक दो लेन मार्ग, लम्बाई 2.40 किमी0 + 200 मी0 सेतु के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 17 जून, 2010 द्वारा जारी नीति के अनुरूप, प्रथम चरण की लागत ₹ 53.89 लाख का आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुत आगणन में यह उल्लिखित किया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रम में उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य में मात्र पैच मरम्मत का प्राविधान किया गया है।

चूंकि मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 367/2009 में उल्लिखित किया गया है कि " **नत्थनपुर के 6 नं0 पुलिया से किद्दुवाला रायपुर मोटर मार्ग का निर्माण कराया जायेगा**"। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश सं0:– 1541/III(2)/09–23(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 के क्रमांक–20 पर उल्लिखित कार्य को निरस्त करते हुए मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0 द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 367/2009 के क्रम में उपलबध कराये आगणन (रायपुर हाथीखाने से किद्दूवाला होते हुए छः नम्बर पुलिया तक दो लेन मार्ग के निर्माण, लम्बाई 2.40 किमी0 + 200 मी0 सेतु) को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 1541/III(2)/09–23(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 के क्रमांक–20 पर उल्लिखित कार्य को निरस्त करते हुए मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा वर्तमान में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–डोईवाला में रायपुर हाथीखाने से किद्दूवाला होते हुए 6 नं0 पुलिया तक दो लेन मार्ग, लम्बाई 2.40 किमी0 + 200 मी0 सेतु के नवनिर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये आंकलित की गई लागत ₹ 53.89 लाख है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि **₹ 25.84 लाख (₹ पच्चीस लाख चौरासी हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 0.25 लाख (₹ पच्चीस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय करने की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

महिमा

2– शासनादेश 1541/।।।(2)/09– 23(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 के क्रमांक–20 पर उल्लिखित कार्य हेतु यदि कोई धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उसका समायोजन उक्त स्वीकृत पर यथा आवश्यक किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संः– 1764/।।।(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संः– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0– 22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 552/XXVII/(2)/2010 दिः 20 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः–6316 (1)/ ।।।(2)/10–23(मु0मं0घो0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)
अनु सचिव